**पंजीकृत डाक से, पावती सहित**

सं.445/एफएए/2014-15/ए-19A 23 अप्रैल, 2015

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारीभारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)अपील सं.: 19A/2014-15**

**श्री विवेक कुमार अग्रवाल द्वारा अपने दिनांक 26/02/2015 के आवेदन के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत दिनांक 24/03/2015 की अपील**

**पृष्ठभूमि :**

श्री विवेक कुमार अग्रवाल, J- 42, हजारीबाग, कनखल, जनपद हरिद्वार, ने अपने दिनांक 26/02/2015 के आवेदन के माध्यम से बैंक से सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया था | उक्त आवेदन का निपटारा बैंक के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने दिनांक 25/03/2015 के आदेश सं.1488 द्वारा किया गया जिसमे आवेदन की सभी मदों पर संबंधित सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया | इस बीच ऐसा लगता है कि आवेदनकर्ता ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के आदेश पारित होने से पहले ही जल्दबाजी में उपरोक्त अपील दायर कर दी है |

**निर्णय :**जैसा कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने आवेदन का निपटारा यथा समय में कर दिया है इसलिए यह अपील निरस्त की जाती हैं ।

आदेश तदनुसार ।ह/-

**[शैलेन्द्र महलवार]मुख्य महाप्रबंधक तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी**

**: 2 :**

दिनांक 23/04/2015 का पृष्ठांकन सं.445ए/एफएए/2014-15/ए-19A

1) श्री विवेक कुमार अग्रवाल, J- 42, हजारीबाग, कनखल, जनपद हरिद्वार

2) श्री उ.शं. लाल, महाप्रबंधक एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सिडबी, प्रधान कार्यालय, लखनऊ, उ.प्र.

**[सदा बिहारी साहु]सहायक महाप्रबंधक (प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का कार्यालय)**